1

बिहार सरकार

कृषि विभाग

अधिसूचना संख्या– 6 / स्था0नियमा0–16 / 2014 / कृ0,पटना, दिनांक– 2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल कृषि विभाग, बिहार के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिक सवंर्ग के पदों पर भर्त्ती और प्रोन्नति का आधार एवं प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**–

(1) यह नियमावली बिहार कृषि क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली–2017 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2 **परिभाषा ।**–

इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो–

(i) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, कृषि क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग;

(ii) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक;

(iv) "सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

(v) "नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है, प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक;

(vi) "विभाग" से अभिप्रेत है, कृषि विभाग, बिहार;

(vii) "सदस्य" से अभिप्रेत है, कृषि क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग का सदस्य ;

(viii) "क्षेत्रीय कार्यालय" से अभिप्रेत है, विभाग के वे सभी अधीनस्थ कार्यालय जो सचिवालय से संलग्न कार्यालय न हों;

(ix) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों/अनुदेशो के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3 **संवर्ग का गठन ।**– (1) कृषि क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग प्रमंडल स्तरीय पर गठित होगा जिसका निम्नलिखित पद सोपान होगा:–

क्र0सं0	कोटि का नाम	स्तर
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

(2) इस नियमावली के आरम्भ के पूर्व से विभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त कार्यरत कर्मी भी इस संवर्ग के सदस्य समझे जायेंगे।

पदों पर वेतनमान वही होगा जो सरकार (वित्त विभाग) द्वारा इन पदो के लिए समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

4 **संवर्ग बल ।**– संवर्ग बल ऐसा होगा जो कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

5 **भर्त्ती**।– (1) निम्नवर्गीय लिपिक का 85 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती से भरा जायेगा और 15 प्रतिशत पद लिपिक के पद पर नियुक्ति की योग्यता रखने वाले सुपात्र समूह 'घ' कर्मचारियों में से भरा जायेगा। सीधी भर्त्ती के 85 प्रतिशत पदों में से 10 प्रतिशत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।

(2) सभी भर्त्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेगीं

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियाँ की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(5) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए करेगा।

6 **शैक्षणिक अर्हता**।– (1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इन्टरमीडियट/+2 उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होगी।

(2) भर्त्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

7 **आरक्षण**।– भर्त्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण प्रावधानो/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8 **पदस्थापन**।– सीधी नियुक्ति से नियुक्त लिपिकों का पदस्थापन प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा होगा।

निदेशक कृषि अन्तर प्रमंडल कार्यालयों में स्थानान्तरण कर सकेगें।

9 **प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती**।– (1) नियुक्ति प्राधिकार इन्टर उर्त्तीण समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(2) प्रोन्नति प्रमंडलीय वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

10 **परिवीक्षा**।– प्रत्येक भर्त्ती परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए होगी और उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त किया जा सकेगा।

11 **विभागीय परीक्षा**।– (1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद् द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

<u>पत्र–1</u> सेवा नियमावली–बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

<u>पत्र–2</u> वित्तीय नियमावली–कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा–भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

12 **सम्पुष्टि**।– कोई परिवीक्षाधीन कर्मी परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

13 **वरीयता** ।– (1) संवर्ग के सदस्यों की आपसी वरीयता प्रमंडलवार होगी। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा विनिश्चित मेधाक्रमानुसार होगी। परन्तु यह भी कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति भर्त्ती वर्ष में कनीय होगें।

परन्तु कि किसी भर्त्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होगें।

(2) कर्मी के अनुरोध पर अंतर प्रमंडल कार्यालयों में स्थानान्तरण होने पर स्थानन्तरित कर्मी अपने संवर्ग में कनीयतम होगा, परन्तु प्रशासनिक कारणों से ऐसा स्थानान्तरण किये जाने पर कर्मी की मौलिक वरीयता अक्षुण्ण रहेगीं।

14 **प्रोन्नति** ।– (1) मूल कोटि से उच्चत्तर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति नियुक्ति प्राधिकार द्वारा गठित होगी।

15 **प्रकीर्ण – कठिनाई का निराकरण** ।– (1) इस नियमावली के नियमों की व्याख्या करने के लिए विभाग सक्षम होगा जिसके लिए आवश्यकतानुसार सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग/वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा।

(2) विभाग इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में आने वाली किसी कठिनाई का निराकरण राजपत्र में समुचित आदेश विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् प्रकाशित करते हुए कर सकेगा।

(3) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में किये गये प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू माने जायेंगे।

16 **निरसन एवं व्यावृति** ।– (1) इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/सेवा शर्त्त संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश/संकल्प एतद् द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व निर्गत परिपत्र/अनुदेश/संकल्प के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जाएगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

(सुधीर कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– .... /कृ०, पटना, दिनांक ,2017

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को अतिशीघ्र भेजने का कष्ट करें।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– .... /कृ०, पटना, दिनांक ,2017

प्रतिलिपि :– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– .... /कृ०, पटना, दिनांक ,2017

प्रतिलिपि :– कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कृषि निदेशक, बिहार/अपर कृषि निदेशक (प्रसार)/निदेशक, उद्यान/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, पी०पी०एम० /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 487 /कृ०, पटना, दिनांक 25-5. ,2017

प्रतिलिपि :– आई0टी मैनेजर, कृषि विभाग को कृषि विभाग के ई--मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.5.2017

सरकार के प्रधान सचिव।